प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. अध्याय–I निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से संबंधित है, अध्याय–II संपादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों एवं अध्याय–III एक सरकारी विभाग के समेकित लेखापरीक्षा से संबंधित है।

3. (क) राज्य सरकार के वित्त पर अवलोकनों (ख) राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों पर अवलोकनों तथा (ग) सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न प्रेक्षणों को समाहित करने वाले प्रतिवेदनों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

4. प्रतिवेदन में उल्लेखित वैसे मामले हैं जिन्हें वर्ष 2009–2010 के दौरान लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया तथा साथ–साथ वैसे मामले भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाए तो गए परंतु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। वर्ष 2009–10 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी आवश्यकतानुसार शामिल किए गए हैं।